

“Words, symbols and numbers “Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010” in the clause 39 of the Annexure 5 appended with Principal Code shall be substituted by words, symbols and numbers “Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023 as amended from time to time”.”

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2024

शुद्धि-पत्र

क्र. मप्रविनिआ-संचा-(एल.एण्ड आर)-2024-1540.- मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग की अधिसूचना क्र. 1237-मप्रविनिआ-2023, दिनांक 24 मई 2024 (प्रकाशन तिथि 31 मई 2024) के हिन्दी संस्करण में “1237-मप्रविनिआ-2023” के स्थान पर “1237-मप्रविनिआ-2024” पढ़ा जाये.

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांता पाण्डा, आयोग सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2024

क्रमांक 1547 / मप्रविनिआ-2024. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 86 की उप-धारा(1)(छ) सहपठित धारा 181 की उप-धारा(2)(यत) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त समस्त सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में क्रमांक 547-एमपीईआरसी-2010 दिनांक 03 मार्च, 2010 को अधिसूचित तथा दिनांक 12 मार्च, 2010 को प्रकाशित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण-प्रथम) विनियम, 2010 {आरजी-21(I), वर्ष 2010) को निम्नानुसार पुनरीक्षित करता है, अर्थात् :